न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4183/2015

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

मीना पत्नि शेलेन्द्र मेहता उम्र वयस्क निवासी भारत पेट्रोल पम्प के सामने, आवरी माता मन्दिर के पास बापुनगर भीलवाडा जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र पिता तेजसिंह उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
2. भगवानलाल पिता नंनदा अहीर उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
3. बद्री पिता भागीरथ माली उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
4. हरदेव पिता लालू माली उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
5. लक्ष्मीनारायण पिता लालू माली उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
6. भोलू पिता नन्दा अहीर उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
7. मिठू पिता हमीरा उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
8. प्यारा पिता उदा माली उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
9. भैरू पिता प्रताप माली उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
10. बाली पत्नि गोपाल माली उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी तहसील कोटडी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक ....

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 10/02/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कोटडी पटवार हल्का कोटडी भू.अ.नि. क्षैत्र कोटडी तहसील कोटडी में खाता संख्या 188 में आराजी संख्या 91 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 92 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 121 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा एवं खाता संख्या 192 की आराजी संख्या 120 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

..... 2

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला-भीलवाड़ा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **कोटडी** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **ग्राम कोटडी पटवार हल्का कोटडी भू.अ.नि. क्षैत्र कोटडी तहसील कोटडी में खाता संख्या 188 में आराजी संख्या 91 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 92 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 121 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा एवं खाता संख्या 192 की आराजी संख्या 120 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 900 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला–भीलवाड़ा